रैगिंग एक क्रिमिनल अपराध है, रैगिंग से दूर रहें

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 के अनुसार निम्न अपराध रैगिंग के अंतर्गत आऐंगे :-

''किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों के माध्यम से प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नये या अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो, किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य कराना, जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो, घबराहट हो या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े।''

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग की परिभाषा को विस्तार देने के लिये दिनांक 29 जून, 2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में तीसरे संशोधन को अधिसूचित किया है - ''किसी दूसरे छात्र (नये अथवा अन्यथा) रंग, नस्ल, धर्म, जाति, नृजातीय, लिंग (ट्रांसजेण्डर सहित) यौन झुकाव, रूप-रंग, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता, भाषायी पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक दुर्व्यवहार (जिसमें दबंगई तथा बहिष्करण शामिल है) का कोई भी कृत्य।'' इस परिभाषा के आधार पर सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी छात्र से ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे, रैगिंग के दायरे में आएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम 2009 के अनुसार संस्था में निम्न समितियाँ गठित की जाएंगी - रैगिंग निरोधक समिति (एन्टी रैगिंग कमेटी), रैगिंग निरोधक दस्ता (एन्टी रैगिंग स्क्वेड) तथा यदि विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय स्तरीय समिति। रैगिंग निरोधक समिति का दायित्व रैगिंग से संबंधित कानून

का अनुपालन कराना तथा रैगिंग निरोधक दस्ते के रैगिंग रोकने संबंधी कार्यो को देखना है। रैगिंग निरोधक दस्ते का यह दायित्व होगा कि वह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का औचक निरीक्षण करे। रैगिंग निरोधक दस्ते का यह दायित्व भी होगा कि वह संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र अथवा किसी माता–पिता, अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जॉच घटना स्थल पर जाकर करे तथा जॉच रिपोर्ट संस्तुति सहित रैगिंग निरोधक समिति को कार्यवाही हेतु सौंपे। रैगिंग निरोधक दस्ता इस प्रकार की जॉच निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से सामान्य न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए करेगा। रैगिंग निरोधक समिति, रैगिंग निरोधक दस्ते द्वारा निर्धारित किये गये अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए दण्ड का निर्धारण करेगी। विश्वविद्यालय स्तरीय समिति का कार्यक्षेत्र संस्था एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज होंगे। यह समिति रैगिंग निरोधक समिति एवं रैगिंग निरोधक दस्ते से रैगिंग गतिविधियों की सूचना प्राप्त करेगी तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय रैगिंग निरोधक समिति के संपर्क में रहेगी।

रैगिंग में शामिल छात्रों के लिए कई तरह के दण्ड का प्रावधान किया गया है, इनमें से सबसे प्रमुख एवं प्रभावी संस्था द्वारा छात्र को दिये जाने वाले संस्था छोड़ने के प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र में छात्र के सामान्य चरित्र एवं व्यवहार के अतिरिक्त रैगिंग का उल्लेख किया जाना है। रैगिंग, कोई हिंसक अथवा दूसरे को हानि पहुंचाने वाले किये गये कार्य का उल्लेख छात्र के इन अभिलेखों पर करना एन्टी रैगिंग की दिशा में उठाया गया सबसे प्रभावी कदम साबित हो सकता है। संस्था में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों (स्थायी एवं अस्थायी) अथवा जो भी संस्था की सेवा कर रहा हो उसका यह दायित्व होगा कि वह रैगिंग की इन घटनाओं को रोके। रैगिंग की सूचना देने वाले कर्मचारियों को अनुशंसा पत्र दिया जाए एवं इसका उल्लेख उनकी सेवा पुस्तिका में किया जाना चाहिए। रैगिंग के इस अधिनियम में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि संस्था मीडिया से अनुरोध करे कि वह रैगिंग रोकने के नियमों का प्रचार–प्रसार करे तथा साथ ही रैगिंग में लिप्त छात्रों को दिये जाने वाले दण्ड को भी बिना भेदभाव एवं भयमुक्त होकर प्रचारित एवं प्रसारित करे।

मानननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में जीवाजी विश्वविद्यालय रैगिंग पर 'जीरो टॉलरेन्स पॉलिसी' का पालन कर रहा है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं परिसर में सभी जगह प्रोक्टोरियल बोर्ड के टेलीफोन नंबर एवं दिशा–निर्देश दिये हुए हैं। छात्र इन नंबरों पर कभी भी रैगिंग एवं विवाद से संबंधित सूचना एवं सुझाव दे सकते हैं। ध्यान रहे रैगिंग करना ही अपराध नहीं है बल्कि रैगिंग होते हुए देखना एवं संबंधितों को समय पर सूचित न करना भी अपराध है। इसलिए रैगिंग को चुपचाप न देखते रहें, तुरन्त सूचित कर इस अपराध को रोकने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें।

प्रो.एस.के.सिंह
प्रोक्टर
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर